पत्रांक :- 773/DS/IT/2021 दिनांक :- 08/11/2021

:: कार्यवृत्त ::

दिनांक 30-10-2021 को विभागाध्यक्ष कार्यालय सभागार में श्री के. पी. उप्रेती, मुख्य अभियन्ता महोदय की अध्यक्षता में Contractor Registration system तथा विभागीय वेब साइट के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक मे निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. इं0 के. पी. उप्रेती, मुख्य अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. इं0 अनिरुद्व सिंह भण्डारी, अधीक्षण अभियन्ता, नवंम वृत्त, देहरादून।
3. इं0 संजीव कुमार गौतम, अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वृत्त देहरादून।
4. इं0 पी0एस0 वृजवाल, अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. इं0 जे0एस0 हयांकी, अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. इं0 मनोहर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. इं0 मनोज बिष्ट, अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
8. इं0 गौरव थपलियाल, अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
9. इं0 अलीम अख्तर, अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
10. इं0 ललीत मोहन बघेल, अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
11. इं0 मनोज पंवार, सहायक अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

बैठक मे आमंत्रित अधिकारियों के सापेक्ष अल्प उपस्थिति पर अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

बैठक मे निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी -

1- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा अवगत कराया गया कि online Contractor Registration system विकसित किया जा चुका है, जिसे लागू किए जाने हेतु कार्यवाही की जानी है। online Contractor Registration system मे वर्तमान मे विभाग द्वारा मार्ग, सेतु, भवन, विद्युत, यांत्रिक व वाटर सप्लाई तथा सेनेट्री की 6 श्रेणियों मे A, B, C व D क्लास मे रजिस्ट्रेशन किए जाने के मानकों के अनुसार व्यवस्था की गई है। जिसमे वर्तमान व्यवस्था के अनुसार श्रेणीवार रजिस्ट्रेशन करने वाले कार्यालयों द्वारा online रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अधीक्षण अभियन्ता नवंम वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ समय पूर्व ही शासन द्वारा पंजीकरण हेतु एक नई क्लास "ई" बनाई गई है, परन्तु विभाग द्वारा इस हेतु नियम निर्गत नहीं किए गए है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा अवगत कराया गया कि online Contractor Registration system मे इस कैटेगिरी को विस्तृत नियम प्राप्त होने के पश्चात ही जोड़ा जा सकेगा।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा "ई" क्लास की नियमावली के संबंध मे सम्बन्धित वर्ग को विस्तृत प्रस्ताव गठित कर शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

2- समस्त अधिकारियों द्वारा online Contractor Registration system लागू किए जाने पर सहमति बनी, परंतु अधिकारियों का मत था कि उक्त सिस्टम को लागू किये जाने से पूर्व वर्तमान मे लागू नियमों में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

3- सभी अभियंताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान मे पंजीकरण शुल्क की दरे काफी पुरानी है जो कि वर्तमान परिवेश मे प्रासंगिक नहीं है, तथा अत: उक्त दरों को 1982 की नियमावली से 100 गुना किए जाने का मत रखा गया।

Class	A	B	C	D
1982 की नियमावली के अनुसार	Rs 50	Rs 40	Rs 25	Rs 15
वर्तमान दर	Rs 125	Rs 75	Rs 50	Rs 25
बैठक मे प्रस्तावित दर	Rs 5,000	Rs 4,000	Rs 2,500	Rs 1,500

अध्ययक्ष महोदय द्वारा इस हेतु सम्बन्धित वर्ग को मूल्य सूचनाक के आधार पर बढ़ोत्तरी आकलित कर विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

4- अधीक्षण अभियन्ता नवंम वृत्त द्वारा सुझाव दिया गया कि हैसियत हेतु ठेकेदार द्वारा चल सम्पत्ति के आधार पर solvency बनवाई जा रही है, परंतु चल संपत्ति के स्थान पर केवल अचल सम्पति के आधार पर जारी हैसियत का ही प्राविधान किया किया जाए। अधीक्षण अभियन्ता, 11 वॉ वृत्त द्वारा सुझाव दिया गया कि चल सम्पति के प्राविधानों के हटाये जाने से पूर्व विधिक राय ली जानी आवश्यक होगी। अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा हेसियत के लिए बैंक गारंटी के प्राविधान को लागू किए जाने का अध्ययन किए जाने का सुझाव दिया। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे कुछ बैंक हैसियत प्रमाण पत्र शर्तों के साथ निर्गत कर रहे है, इस संबंध मे बैंक द्वारा निर्गत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के फॉर्मेट को स्टैन्डर्ड किए जाने का भी सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त विंदु पर अगली बैठक में विधि सलाहकार तथा वित्त नियंत्रक के साथ चर्चा करने हेतु निर्णय दिया गया।

5- वर्तमान मे पंजीकरण हेतु आवश्यक हैसियत निम्नानुसार है -

Registration Categories	Registration Class			
	A	B	C	D
Road	10,00,000	3,00,000	1,00,000	50,000
Bridge	10,00,000	3,00,000	1,00,000	50,000
Building	10,00,000	3,00,000	1,00,000	50,000
Electrical	1,00,000	50,000	10,000	5,000
Mechanical	1,00,000	50,000	10,000	5,000
Water Supply and Sanitary	50,000	25,000	10,000	5,000

सभी अभियंताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त धनराशि शासनादेश स 2504 दिनांक 25 नवंबर 2003 मे जारी कि गई थी, जो कि काफी कम है। सभी अभियंताओ द्वारा इन्हे बढाये जाने की आवश्यकता बताई। मानक के तौर पर ठेकेदारों के उसी श्रेणी में किया जाने वाले कार्य की अधिकतम लागत का 8 से 10 प्रतिशत तक लिया जाना उचित होगा।
इसी प्रकार वर्तमान मे पंजीकरण हेतु आवश्यक सिक्युरिटी धनराशि निम्नानुसार है –

Registration Categories	Registration Class			
	A	B	C	D
Road	1,00,000	30,000	10,000	5,000
Bridge	1,00,000	30,000	10,000	5,000
Building	1,00,000	30,000	10,000	5,000
Electrical	20,000	10,000	2,000	1,000
Mechanical	20,000	10,000	2,000	1,000
Water Supply and Sanitary	5,000	2,000	1,000	500

सभी अभियंताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त धनराशि को भी ठेकेदारों के उसी श्रेणी में किया जाने वाले कार्य की अधिकतम लागत के अनुरुप बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा इस हेतु सम्बन्धित वर्ग को निर्देश दिए गए कि हैसियत व सिक्युरिटी धनराशि को तर्कसंगत बनाए जाने हेतु इसे मूल्य सूचकांक के आधार पर भी आकलित कर विस्तृत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए।

5- इं0 पी0एस0 वृजवाल, अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा अवगत कराया गया कि रोड़ साइनेज की एक नई कैटेगिरी हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित है। अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा अवगत कराया गया कि online Contractor Registration system मे इस कैटेगिरी को शासन से स्वीकृति के पश्चात ही जोड़ा जा सकेगा।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित वर्ग को उक्त प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिए जान हेतु का शासन को रिमाइंडर प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

6- वर्तमान मे Water Supply and Sanitation की कैटेगिरी है, परंतु वर्तमान मे भवन कार्यों के टेन्डर मे Water Supply and Sanitation कार्य सिविल कार्यों के साथ ही जोड़ा जा रहा है। इस संबंध मे सुझाव दिया गया कि Water Supply and Sanitation की कैटेगिरी को समाप्त कर इससे संबंधित requirement को building Category मे जोड़कर इस कैटेगिरी को भवन के साथ मर्ज कर दिया जाय।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा इस हेतु सम्बन्धित वर्ग को विस्तृत प्रस्ताव गठित कर शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

7- अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वृत्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान मे यांत्रिक कार्यों के रजिस्ट्रेशन मे Transport Commissioner से Certificate प्राप्त करने की बाध्यता है, जिस कारण इस कैटेगिरी मे कोई ठेकेदार रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे है। जिससे प्रतिस्पर्धात्मक निविदाए प्राप्त करने मे परेशानी आ रही है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किए जाने कि आवश्यकता बताई।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा इस हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वृत्त को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए ताकि सम्बन्धित वर्ग द्वारा प्रस्ताव गठित कर शासन को प्रेषित किया जा सके।

9- वर्तमान मे पंजीकरण हेतु कार्यों का आवश्यक अनुभव निम्नवत् है –

Registration Categories	**Registration Class**			
	A	**B**	**C**	**D**
Road Bridge Building	Minimum 5 Works **Rs 10 Lacs** each	Minimum 5 Works **Rs 5 Lacs** each	Minimum 5 Works **Rs 1 Lacs** each	Minimum 5 Works **Rs 25,000** each
Electrical	Not required	Not required	Not required	Not required
Mechanical	Minimum 5 Works **Rs 25,000** each	Minimum 5 Works **Rs 5,000** each	Minimum 5 Works **Rs 2,000** each	--
Water Supply and Sanitary	Minimum 5 Works **Rs 25,000** each	Minimum 5 Works **Rs 10,000** each	Minimum 5 Works **Rs 5,000** each	--

सभी अभियंताओ द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान मे पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यों का अनुभव काफी कम लिए जा रहे है। जो कि वर्तमान परिवेश मे प्रासंगिक नहीं है। इस हेतु किसी कैटेगिरी की अधिकतम कार्य करने की सीमा के आधार पर संशोधित किए जाए। डं0 पी0एस0 वृजवाल, अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु प्रस्ताव शासन को पूर्व से प्रेषित है।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित वर्ग को उक्त प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाने हेतु का शासन को अनुस्मारक प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।

10- वर्तमान मे पंजीकरण हेतु ठेकेदार को निम्न तकनीकी स्टाफ कि आवश्यकता होती है-

Registration Categories	**Registration Class**			
	A	**B**	**C**	**D**
Road Bridge Building	1 Degree Er. 2 Diploma Er.	1 Degree Er. 1 Diploma Er.	1 Diploma Er.	--
Electrical	1 Diploma Er. 1 Electrician	1 Electrician	1 Electrician	--
Mechanical	1 Diploma Er. 1 ITI Holder	1 Diploma Er. 1 ITI Holder	1 Diploma Er. 1 ITI Holder	--
Water Supply and Sanitary	1 Degree Er. 1 Plumber	1 Diploma Er. 1 Plumber	1 Diploma Er. 1 Plumber	--

सभी अभियंताओ द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीकरण के समय ठेकेदार द्वारा अवगत कराए गया तकनीकी स्टॉफ ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर नहीं रखा जाता है।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा इस हेतु अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) को online Contractor Registration system मे तकनीकी स्टाफ के आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर भरे जाने का प्राविधान जोड़ने के निर्देश दिए गए।

11- वर्तमान मे पंजीकरण हेतु ठेकेदार को निम्न मशीनरी की आवश्यकता होती है-

Categories	**Machine Name**	**Nos for Class**			
		A	**B**	**C**	**D**
Road	Concrete Mixers	2	1	1	
	Vibrators	3	2	1	
	Pumps	2	1		
	Tractors	1			
	Sheep foot rollers	2	1		
Bridge	Concrete Mixers	2	1	1	
	Vibrators	3	2	1	
	Pumps	2	1		
	Diesel winches Excavating grabs 1/2 to 1 cum. Capacity 5 tons capacity	2	1		
	Excavating grabs 1/2 to 1 cum. Capacity	4	2		
	Diesel Generating Sets 25 KW	1			
Building	Concrete Mixers	2	1	1	
	Vibrators	3	2	1	
	Pumps	2	1		
	Grinding Mills	2	1	1	

सभी अभियंताओ द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक मशीनरी को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता बताई।

अध्ययक्ष महोदय द्वारा इस हेतु सभी अभियंताओ को अगली बैठक मे श्रेणीवार / क्लासवार मशीनों की आवश्यकता के संबंध मे सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

12- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा अवगत कराया गया कि online Contractor Registration system को faceless सिस्टम बनाए रखने हेतु पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए जाने वाले Notarized Affidavits के स्थान पर सिस्टम मे ही ठेकेदार द्वारा Declaration दिए जाने का प्रविधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा Declaration कि भाषा को अगली बैठक में विधि सलाहकार तथा वित्त नियंत्रक के साथ चर्चा करने हेतु निर्णय दिया गया।

13- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा अवगत कराया गया कि NIC द्वारा बनाई गई विभागीय वेबसाइट को NIC द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमे सभी विभागीय डाटा पुन: भरा जाना है, तथा पूर्व मे NIC द्वारा बनाई गई विभागीय वेबसाइट का डाटा स्वत: नई बेबसाइट मे माइग्रैट नहीं हो रहा है। अन्य अभियंताओ द्वारा बताया गया कि NIC वेब साइट पर डॉक्यूमेंट सर्च करने मे काफी परेशानी आती है, तथा विभाग की सभी सूचनाए पब्लिक डोमेन पर रखना भी उचित नहीं है। अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0) द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय के आंतरिक डॉक्यूमेंट को विभागीय पोर्टल

DMS मे रखा जा सकता है, जिसमे अलग अलग वर्गों के डाटा हेतु संबंधित वर्ग द्वारा भरी जा सकती है। जिस हेतु सभी वर्गों द्वारा भरी जाने वाली सूचना तथा सूचना को अद्यतन रखने हेतु नोडल कार्मिक को नामित करने का निर्णय किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त के संबंध मे अगली बैठक मे चर्चा करने हेतु निर्णय दिया गया।

अंत मे सभी अभियंताओ को धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गई।

पत्रांक संख्या :- 773/DS/IT/2021 दिनांक :- 08/11/2021

(इं0 के. पी. उप्रेती)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- प्रमुख अभियंता, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग, देहरादून
2- मुख्य अभियंता (नियोजन) / (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून
3- समस्त वरिष्ट स्टाफ अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून
4- अधीक्षण अभियन्ता, नवंम वृत्त, देहरादून।
5- अधीक्षण अभियन्ता, 11 वां वृत्त देहरादून।
6- समस्त अधिशासी अभियंता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून

8.11.2021

मुख्य अभियन्ता